**भारत सरकार**

**स्‍वास्‍थ्‍य और परिवार कल्‍याण मंत्रालय**

**स्‍वास्‍थ्‍य और परिवार कल्‍याण विभाग**

**राज्‍य सभा**

**तारांकित प्रश्‍न संख्‍या : 76\***

**28जुलाई, 2015 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर**

**चिकित्सकों की लापरवाही के विरुद्घ शिकायतें**

**76. श्री पंकज बोरा:**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में रोगियों के प्रति चिकित्सकों की लापरवाही की शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसकी वजह से रोगी प्रभावित हुए हों;

(ख) यदि हां, तो विगत एक वर्ष के दौरान अस्पताल-वार प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार तथा चिकित्सा परिषद्र द्वारा उन शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गई है ?

**उत्‍तर**

**स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण राज्‍य मंत्री (श्री श्रीपाद यसो नाईक)**

(क) और (ख): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*

**राज्‍य सभा में दिनांक 28 जुलाई, 2015 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या 76 के उत्तर में उल्लिखित विवरण।**

(क) से (ग): चूंकि स्‍वास्‍थ्‍य राज्‍य का विषय है, इसलिए ऐसी जानकारी केन्‍द्र स्‍तर पर नहीं रखी जाती है।

2. इसके अतिरिक्‍त, चिकित्‍सा से संबंधित लापर‍वाही संबंधी प्राप्‍त शिकायतों और उन पर एम्‍स, नई दिल्‍ली, पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़, जेआईपीएमईआर, पुड्डुचेरी और इस मंत्रालय के अंतर्गत दिल्‍ली के तीन केन्‍द्रीय अस्‍पतालों अर्थात सफदरजंग अस्‍पताल, डॉ. आरएमएल अस्‍पताल और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज (एलएचएमसी) एवं संबद्ध अस्‍पताल, क्षेत्रीय चिकित्‍सा विज्ञान संस्‍थान (आरआईएमएस), इंफाल, पूर्वोत्‍तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा विज्ञान संस्‍थान (एनईआईजीआरआईएनएस), शिलॉंग और जोधपुर, ऋषिकेश, भुवनेश्‍वर, भोपाल, रायपुर और पटना में एम्‍स जैसी संस्‍थानों द्वारा की गई कार्रवाई का ब्‍यौरा अनुलग्‍नक- I में दिया गया है।

3. भारतीय चिकित्‍सा परिषद (व्‍यवसायिक आचरण,शिष्‍टाचार और नैतिकता) विनियम, 2002 के प्रावधानों का उल्‍लंघन करने पर चिकित्‍सक के विरूद्ध अनुशासनात्‍मक कार्रवाई करने के लिए एमसीआई अथवा उपयुक्‍त राज्‍य चिकित्‍सा परिषदों को सशक्‍त बनाया है। चिकित्‍सकों के आचार संहिता (चिकित्‍सा से संबंधित लापरवाही के आरोप सहित) का उल्‍लंघन के लिए शिकायतें प्राप्‍त होते ही, ऐसी शिकायतों को एमसीआई द्वारा संबंधित राज्‍य चिकित्‍सा परिषदों को रेफर किया जाता है, जहां चिकित्‍सकों/चिकित्‍सा व्‍यवसायियों को उपयुक्‍त कार्रवाई के लिए पंजीकृत किया जाता है। ऐसे मामलों में एमसीआई अपीलीय प्राधिकारी होता है। दिनांक 1.1.2014 से 17.7.2015 तक एमसीआई को चिकित्‍सा से संबंधित लापरवाही के संबंध में 18 अपील प्राप्‍त हुई है।

4. एमसीआई ने लापरवाही के लिए संबंधित चिकित्‍सक को दंडित करने के छह मामलों में संबंधित राज्‍य परिषदों के निर्णय को स्‍थगित कर दिया है। उक्‍त छह मामलों का विवरण अनुलग्‍नक – II पर है।

\*\*\*

**अनुलग्‍नक- I**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **क्र.सं.** | अस्पताल का नाम | **2014 में प्राप्‍त शिकायतों की संख्‍या** | | **2015 में प्राप्‍त शिकायतों की संख्‍या** | की गई कार्रवाई |
| 1. | सफदरजंग अस्पताल | 6 | | 1 | डॉक्टरों के खिलाफ लापरवाही का कोई मामला साबित नहीं हुआ। |
| 2. | डॉ. आरएमएल अस्पताल | शून्‍य | | 4 | दो मामलों में, जांच पूरी हो गई है और कोई डॉक्‍टर चिकित्सीय लापरवाही का दोषी नहीं पाया गया। |
| 3. | एलएचएमसी और संबद्ध अस्पताल | शून्‍य | | 2 | एक मामले में, जांच पूरी हो गई है और कोई डॉक्टर दोषी नहीं पाया गया। |
| 4. | अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली | 4 | | 2 | जांच समिति ने यह निष्कर्ष निकाला कि ईलाज करने वाले डॉक्‍टर की तरफ से कोई लापरवाही नहीं हुई है। |
| 5. | पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ | 2 | | शून्‍य | डॉक्टरों के खिलाफ लापरवाही का कोई मामला साबित नहीं हुआ है। |
| 6. | जेआईपीएमईआर, पुडुचेरी | 1 | | शून्‍य | इस मामले में शिकायतकर्ता को मुआवजा की अनुमति दे दी गई है। |
| 7. | एम्स जैसे 6 संस्थान | | इन संस्थानों में ऐसा कोई मामला प्राप्त नहीं हुआ है। | | |
| 8. | निग्रिम्‍स, शिलांग | |
| 9. | रिम्स, इम्फाल | |

Top of Form

Bottom of Form

**अनुलग्‍नक- II**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| क्रम संख्या | डॉक्टर का नाम | राज्य चिकित्सा परिषद द्वारा दिए गए दंड की मात्रा | एमसीआई द्वारा दिए गए दंड की मात्रा/ एमसीआई का निर्णय |
| 1. | डॉ हरीश कुमार  न्‍यूलाइफ अस्पताल, 1616 आउटराम लाइन्स, जीटीबी नगर, दिल्ली-110009 | दिल्ली मेडिकल काउंसिल ने डॉ हरीश कुमार को राज्य मेडिकल रजिस्टर से एक महीने की अवधि के लिए हटाने का फैसला किया | एमसीआई की आचार समिति ने डीएमसी के निर्णय को बनाए रखने का निर्णय लिया है। |
| 2. | डॉ कोकिल गुलाटी  बी-4/37, सेक्टर -18, रोहिणी | दिल्ली मेडिकल काउंसिल ने डॉ कोकिल गुलाटी को चेतावनी जारी की | एमसीआई की आचार समिति ने अपील न सुनने का निर्णय लिया क्‍योंकि इसमें समय की रोक है। |
| 3. | डॉ श्रीहरी आभाजी धोरे पाटिल मार्फत श्री हॉस्पिटल, सिद्धार्थ हवेली, नगर रोड, पुणे | महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल ने डॉ पाटिल को राज्य मेडिकल रजिस्टर से तीन महीने की अवधि के लिए हटाने का फैसला किया | एमसीआई की आचार समिति ने महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल के निर्णय को बनाए रखने का निर्णय लिया है। |
| 4. | डॉ संजीव गुप्ता  ए-47-ए / 2, नारायणा विहार, नई दिल्ली | दिल्ली मेडिकल काउंसिल ने डॉ गुप्ता का नाम 30 दिनों की अवधि के लिए हटा दिया है। | एमसीआई की आचार समिति ने दिल्ली मेडिकल काउंसिल के निर्णय को बनाए रखने का निर्णय लिया है। |
| 5. | डॉ केके नारंग  के-16 / एफ 1, ए-ब्लॉक, दिलशाद गार्डन, दिल्ली | दिल्ली मेडिकल काउंसिल ने डॉ केके नारंग के नाम को 30 दिनों की अवधि के लिए हटा दिया है। | एमसीआई की आचार समिति ने दिल्ली मेडिकल काउंसिल के निर्णय को बनाए रखने का निर्णय लिया है। |
| 6. | डॉ गोली वेंकटेश्वर राव  साई राम मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, कोणार्क थिएटर लेन, दिल सुख नगर, हैदराबाद | आंध्र प्रदेश मेडिकल काउंसिल ने डॉ राव को सेंसर का दंड दिया। | एमसीआई की आचार समिति ने अपील न सुनने का निर्णय लिया क्‍योंकि इसमें समय की रोक है। |